BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. NO. 744 OF 2025 AND I.A. NO. 173 OF 2026

IN

OA NO. 724 OF 2023

<u>IN THE MATTER OF</u>:

BITTU …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ……..RESPONDENT(s)

<u>INDEX</u>

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE TO THE I.A NO. 744 OF 2025 AND 173 OF 2026 ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 19.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
4.	COPY OF THE LETTER DT. 20.04.2026 AND 23.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-1	
5.	COPY OF THE RESPONSES OF MINING DEPARTMENT AND UPPCB WITH ANNEXURES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 29.04.2026

Place: NOIDA

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No. GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. NO. 744 OF 2025 AND I.A. NO. 173 OF 2026

IN

OA NO. 724 OF 2023

IN THE MATTER OF:

BITTU …………**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

…….**RESPONDENT(s)**

RESPONSE TO THE I.A NO. 744 OF 2025 AND 173 OF 2026 ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 19.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Ravindra Kumar Mander aged about 36 years S/o C.L. Meena….., presently posted as District Magistrate, Ghaziabad do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's directions vide order dt. 19.03.2026, ADM (Finance/ Revenue) has written letters dated 20.04.2026 to Mines officer, Ghaziabad and RO, UPPCB and 22.04.2026 to RO, UPPCB seeking response to I.A. 744 of 2026 and 173 of 2026 in OA 724 of 2023.

   A Copy of the letter dt. 20.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE -1 .**

4. That response dated 27.04.2026 was provided by Mines Officer, Ghaziabad and response dt. 28.04.2026 has been received from UPPCB.

   Copies of the responses with annexures have been annexed herewith as **ANNEXURE -2 .**

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

8. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 29 day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 8 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY P.K. SHARMA GHAZIABAD Reg. No.-3062 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

ATTESTED
No. 18 Dated 29/4/2026
Certified that Documents Affidavite Shri. Ravindra Kr Monder.
Identified By Shri.

P.K. SHARMA
Advocate
Notary Ghaziabad
(GOVT. OF INDIA) 29/4/2026.

ANNEXURE -1

अति महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 1278 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 20.04.2026

1. क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
2. खान अधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 724 / 2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 724 / 2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके बिन्दु सं0 10 पर निम्नवत् आदेश दिये गये है :–

"10. Vide order dated 19.03.2026 respondents were given opportunity to file replies to I.A. No. 744/2025 and the applicant and respondents No. 1 to 7 were given opportunity to file reply to I.A. No. 173/2026. However replies have not been filed to the abovementioned I.As."

अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में I.A. No. 744/2025 एवं I.A. No. 173/2026 के सम्बंध में अभिलेख मय आख्या 02 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सकें।

20/4/26
अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

अति महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:— 1284 / ख0अनु0—गाजि0 / 2026—27 दिनांकः 23.04.2026

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 724 / 2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन में प्रतिउत्तर दाखिल कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1278 दिनांक 20.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 724 / 2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के बिन्दु सं0 10 पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में I.A. No. 744/2025 एवं I.A. No. 173/2026 के सम्बंध में अभिलेख मय आख्या 02 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु तद्दिनांक तक भी आख्या कार्यालय में अप्राप्त है, जो अत्यंत खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि I.A. No. 744/2025 एवं I.A. No. 173/2026 के सम्बंध में समस्त सम्बंधित सूचना को अद्यतन करते हुये सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 30.04.2026 से पूर्व जिलाधिकारी महोदय का प्रतिउत्तर तैयार कर मा0 अधिकरण में ससमय दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

23/4/26
अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :—

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपरजिलाधिकारी (नगर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

ANNEXURE -2

प्रेषक,

खान अधिकारी,

गाजियाबाद|

सेवा में,

अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०)

गाजियाबाद|

पत्र संख्या:- 147 /ख०अनु०-गाजि०/26-27 दिनांक: 27/04/2026

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० 1278 दिनांक 20.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के बिन्दु सं० 10 के क्रम में I.A. No. 744/2025 एवं I.A. No. 173/2026 में मय अभिलेख आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है|

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में I.A. No. 744/2025 एवं I.A. No. 173/2026 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है: -

I. <u>Response to I.A. No 744/2025 in Original Application NO. 724 of 2023; Bittu vs State of U.P. & Ors</u>.

1. In the present I.A., the applicant has complained about rampant illegal riverbed sand mining by the private contractor, M/s New Panther Security Guard Services in utter violation of EPA, 1986 and **disregarding GRAP-III implementation** notification order dated 11.11.2025
2. Restrictions under **GRAP-III and GRAP-IV** are notified by Commission for Air Quality and Management (CAQM) in National Capital Region and adjoining areas (Notification attached)
3. The said restrictions are also popularized through media and concerned organizations need to follow the CAQM directions to reduce the level of pollution in NCR and adjoining areas.

4. Under Stage III – 'Severe' Air Quality (DELHI AQI ranging between 401-450), following guidelines has been given: -

Stage III – 'Severe' Air Quality (DELHI AQI ranging between 401-450)	
Actions	**Agencies responsible/Implementing Agencies**
3. Close down all mining and associated activities in the entire NCR.	-> Chairpersons – CPCB, DPCC, SPCBs (NCR). -> District Magistrates / Deputy Commissioners of respective districts in NCR. -> Commissioner of Police - Delhi and IG / DIG / SP of NCR towns

5. The application of GRAP is restricted to few districts of NCR region in the state of Uttar Pradesh and **no separate provision** for punishment for violation of GRAP restrictions exists under UPMMCR-2021 rules of Mining Department. However, any violation detected is dealt as violation of EC norms and maximum available penalty is imposed.
6. It is further submitted that extraction of river-bed sand does not generate significant amount of dust due to presence of sufficient moisture during winter season. However, movement of vehicles has the potential for air pollution if sufficient water sprinkling is not done at the transport routes.
7. But in compliance with CAQM directions, the enforcement of GRAP restrictions is carried out by district administration with ***regional office of UPPCB as Nodal Agency***. UPPCB carries out the ban on loading and unloading sites of mined mineral pursuant to authority present under relevant environmental laws.
8. Implementation of GRAP Stage-III and compliance measures: -

Date	**Action Taken / Event**	**Compliance / Observation**
12.01.2017	Notification No. 118(A) issued notifying the Graded Response Action	GRAP made applicable for identification and control of pollution sources including

	Plan (GRAP) pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court for mitigation of air pollution at various levels.	mining, dust, traffic, industrial units, and waste.
11.11.2025	GRAP Stage-III imposed due to AQI exceeding 300 in Delhi and NCR regions; mining and associated activities prohibited in Delhi-NCR area.	Mandatory cessation of mining activities during GRAP-III.
12.11.2025	Meeting convened under the Chairmanship of the **District Magistrate, Ghaziabad** by the **Regional Officer, UPPCB** with all concerned authorities to ensure implementation of GRAP-III directions.	Directions issued to all stakeholders for strict compliance of GRAP-III restrictions. **(Annexure R-1)**
13.11.2025	Letter issued to M/s New Panther Security Guard Service directing compliance with GRAP-III restrictions.	Explicit direction to observe GRAP restrictions related to mining and allied activities. **(Annexure R-2)**
21.11.2025	Joint site inspection by Mines Officer, Ghaziabad and RO, UPPCB conducted at sand mining lease area of Village Pachayera (Block-2) and sand mining permit area of Village Nauraspur.	Mining operations found completely closed; no machinery or sand-transport vehicles found operational.
26.11.2025	Inspection findings communicated vide letter confirming complete closure of mining activities due to GRAP Stage-III; compliance directions reiterated.	Compliance observed during physical inspection; warning issued for future violations. **(Annexure R-3)**
Post 11.11.2025	Transportation of ordinary sand detected through departmental portal during GRAP Stage-III period.	Violation of GRAP-III conditions detected.
04.12.2025	Show-cause notice issued under **Rule**	Initiation of penal proceedings for violation.

	60(2) of the U.P. Minor Minerals (Prevention) Rules, 2021 proposing penalty of Rs. 50,000/-.	**(Annexure R-4)**
07.12.2025	Reply submitted to the show-cause notice by the Project Proponent.	Reply examined and found unsatisfactory.
11.12.2025	Maximum Penalty of Rs. 50,000/- imposed under Rule 60(2) of the U.P. Minor Minerals (Prevention) Rules, 2021.	Penal action taken, penalty imposed and recovered. **(Annexure R-5)**

9. **Further pursuant to Hon'ble Tribunal direction dated 16.12.2026 highlighted as under:-**
"The aspects of communication regarding imposition and withdrawal of GRAP-III and IV restrictions can be looked into by the District Mining Officer, Ghaziabad who shall also be bound to communicate, by appropriate electronic means besides written communication, about imposition and withdrawal of GRAP-III & IV restrictions to all the mining lease holders in the district who shall be bound to comply with the same and the District Mining Officer shall also ensure compliance with GRAP - III and IV restrictions by making requisite field visits to the mining lease sites"

10. **Communication and Enforcement of GRAP-3 related restrictions**

Date	**GRAP status**	**Communication to Project proponent**
13.12.2025	GRAP-3 & 4 enforced vide CAQM order No. 20017/27/GRAP/2021/CAQM in NCR and adjoining areas	1. A letter No. **917** dated **14.12.2025** by Additional District Magistrate (F/R) was sent to the proponent to inform about GRAP - III and IV being in force (**Annexure R-6**) 2. Letter was also sent on WhatsApp on **14.12.2025**.

Field inspection of the lease area dated 29.12.2025 was carried out by the deponent to ensure compliance with the GRAP restrictions. Mining and associated activities were found to be closed at the lease site. (Annexure-7**)*		
02.01.2026	GRAP-3 & 4 restrictions were removed vide CAQM order No. 120017/27/GRAP/2021/CAQM528DT in NCR and adjoining areas	1. A letter No. **979** dated **02.01.2026** by Additional District Magistrate (F/R) was sent to the leaseholder to inform about the same (**Annexure R-8***)* 2. The said letter was communicated to the proponent on WhatsApp on **02.01.2026**
16.01.2026	GRAP-3 restrictions were imposed vide CAQM order No. 120017/27/GRAP/2021/CAQM/542DT in NCR and adjoining areas	1. The order was communicated to the proponent via WhatsApp on **16.01.2025** 2. A letter No. **1004** dated **17.01.2026** by Additional District Magistrate (F/R) was sent to the proponent to communicate the restrictions on Mining and associated activities. (**Annexure R-9**)
17.01.2026	GRAP-4 restrictions were imposed vide CAQM order No. 120017/27/GRAP/2021/CAQM in NCR and adjoining areas	
Field inspection of the lease area dated 17.01.2026 was carried out by the deponent along with members of Joint Inter-state Task Force Members to ensure compliance with the GRAP restrictions. Mining and associated activities were found to be closed at the lease site. (Annexure R-10**)*		
22.01.2026	GRAP-3 restrictions were removed vide	1. The said order was communicated

	CAQM order No. 120017/27/GRAP/2021/CAQM/545 DT in NCR and adjoining areas	to the proponent through WhatsApp on **22.01.2026** 2. A letter No. **1024** dated **22.01.2026** by Mines Officer, Ghaziabad was sent to the proponent to communicate the removal of GRAP restrictions on Mining and associated activities. (**Annexure R-11**)

11. That currently GRAP restrictions under stage -III and IV have been removed in Delhi- NCR region but pursuant to Hon'ble Tribunal's directions in order dated 29.01.2026, mining operation at the lease site has been stopped and no activity is ongoing.

II. <u>Response to I.A. No 173/2026 in Original Application NO. 724 of 2023; Bittu vs State of U.P. & Ors</u>.

1. In the present I.A., the applicant has sought vacation of Stay/ Restraining order dated 29.01.2026 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 724/2023 titled as "Bittu Vs. State of U.P. & Ors."
2. That the applicant has been carrying out mining work at the lease site Pachayera khand-02 after taking requisite permission from concerned authorities including CTO and EC and executing the lease deed.
3. That the Mining department has been taking action against the leaseholder as per rules if any violation/ non-compliance has been detected and also ensured compliance with Hon'ble Tribunal's order passed with respect to the said lease. The operation at the said lease site has been completely stopped in compliance with Hon'ble Tribunal's order dated **29.01.2026** and office order **dated 09.02.2026 (Annexure R-12)**
4. That the applicant has relied upon various affidavits filed by the undersigned to further his claims, which are a matter of record, hence not disputed.
5. That the applicant Bani Singh proprietor of New Panther Securities Limited and few villagers of Jagatpur (PS- Burari) in letters dated **08.01.2026** and **09.01.2026** addressed

to the Mining Officer, Ghaziabad among others has complained about *illegal mining in the name of his proprietorship firm by Siddharth Kasana son of Surendra Kasana, resident of Plot No.-4, Peepal Drive, Chhatarpur, New Delhi; Rajeev, son of Brahm Singh, resident of Jagatpur, Delhi; Bjiendra Sharma, resident of Delhi. The imposters are using machinery to excavate sand illegally under garb of fake license near* ***Jagatpur/Burari at Yamuna bank*** *and doing* ***transportation towards Delhi side*** *and threatening the applicant* and sought action against the illegal miners.

(***A copy of application dated 08.01.2026 and 09.01.2026 are annexed as*** **Annexure R-13**)

6. That pursuant to the spot identified by the complainants, a surprise inspection at the said site near Delhi-UP border on Delhi side of river Yamuna was carried out by Mines Officer, Ghaziabad, ADM (F/R), Ghaziabad, Tronica City police on the intervening night of **10-11th January 2026** and large scale excavation through machinery and transportation through dumpers was observed at the bank of river Yamuna on Delhi side. The spot identified was nearly **7KMs** away from the lease site of applicant at Pachayera Khand-02. On questioning the miners through **PA system** from UP side of the river about legality of such operation, the miners started running away.
7. That immediate action was initiated by contacting the Delhi officials of **Delhi-UP Joint Inter-State Task Force** and 03 JCB excavators found on the site were handed over to the Chowki In-Charge of **Burari** police chowki. Further, a letter dated 14.01.2026 was written by DM, Ghaziabad to DM North and North East Delhi *highlighting the above incident and requested clarification if any permit of Mining or Transportation has been granted by Delhi authorities. Further, if illegal mining without permission is being carried out, immediate action needs to be taken in compliance with the Hon'ble NGT orders*.

   (***A copy of letter dated 14.01.2026 by DM Ghaziabad is annexed as*** **Annexure R-14**)
8. Further, a penalty of Rs. 50,000/- (deposited) for violating EC Conditions has been imposed on the applicant and a penalty of Rs. 5,00,000/- (not yet deposited) was imposed for mining even after accumulation of seepage water in the pit created by mining in the lease area. That the said violation has been highlighted by the District Task Force during site visit on 07.04.2026 in compliance with Hon'ble Tribunal order dated 19.03.2026. *Remedial measures* as directed by the Hon'ble Tribunal with respect to the pit in the lease area has been taken and the said pit has been levelled out.

(***A copy of order imposing 5 lakh penalty is annexed as ANNEXURE R-15***)

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित है|

संलग्नक :- यथोपरि|

भवदीय

27/04/26

(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी
गाजियाबाद|

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
गाजियाबाद|

Annexure R-1

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.gov.up.in, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1529 /सा0पत्रा0–222/2025 दिनांक 12/11/2025

सेवा मे,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
5. उपायुक्त पुलिस (यातायात), गाजियाबाद।
6. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
7. मुख्य अभियन्ता, पश्मिांचल विधुत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
8. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।
9. परियोजना निदेशक, एन0सी0आर0टी0सी0, गाजियाबाद।
10. उपायुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
11. मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, गाजियाबाद।
13. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, गाजियाबाद।
14. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद।
15. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद।
16. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद।
17. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।
18. खान अधिकारी, गाजियाबाद।
19. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गाजियाबाद।

विषय: Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 12.11.2025 अपरान्हन 01:00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागर, गाजियबाद बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 12.11.2025 अपरान्हन 01:00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागर, गाजियबाद मे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 12.11.2025 अपरान्ह 01:00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागर, गाजियाबाद बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न स्तरों में वायु प्रदूषण के निदान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 118(अ) दिनांक 12–01–2017 द्वारा ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान अधिसूचित किया गया है। ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान के कियान्वयन एवं वायु प्रदूषण के अन्य कारकों के प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को क्षेत्र मे धूल, मिटटी, ट्रैफिक, औधोगिक इकाईयॉ, कृषि एवं अन्य अपशिष्ट तथा अन्य स्त्रोतों जिनके कारण वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है, का चिन्हीकरण कर एक्शन प्लान तैयार किये जाने तथा तदानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। दिल्ली एवं अन्य एन0सी0आर0 क्षेत्रों मे Air Quality Index (AQI) 300 से अधिक होने के दृष्टिगत Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा Sub-Committee for GRAP के recommendation के आधार पर अपने पत्र दिनांक 19.10.2025 द्वारा GRAP की Stage-II लागू है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 11.11.2025 के माध्यम से सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद मे AQI के आंकलन हेतु 04 कन्टीन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन संचालित है तथा जनपद का AQI Severe श्रेणी मे आच्छादित है। उक्त का मुख्य कारण, रोड डस्ट, C & D परिवहन क्षेत्र तथा औधोगिक मे होने वाली धूल, निर्माण कार्यो से जनित डस्ट आदि तथा Trans Boundary Pollutant है, जो adverse meteorological condition के कारक डिस्पर्स नही हो पा रहे है। बैठक मे निम्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1. श्री विकास कश्यप, राजस्व विभाग, गाजियाबाद।	2. श्री धमेन्द्र शर्मा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, गाजियाबाद।
3. श्री ओ0पी0 यादव, बैसिक शिक्षा विभाग, गाजियाबाद।	4. श्री अमित राजन रॉय, परिवहन विभाग, गाजियाबाद।
5. श्री सतीश कुमार, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, गाजियाबाद।	6. श्री राजेश कुमार, उ0प्र0 परिवहन विभाग, गाजियाबाद।
7. श्री दीपक कुमार, नगर पालिका परिषद, मुरादनगर, गाजियाबाद।	8. श्री गौरव मल्होत्रा, एन0सी0आर0टी0सी0, गाजियाबाद।
9. श्री विकास गौतम, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।	10. पुलिस विभाग, गाजियाबाद।

11. श्री महेश उपाध्याय, एस0ई0, विधुत विभाग, गाजियाबाद।	12. डॉ0 सलोनी, वन विभाग, गाजियाबाद।
13. श्री अमित कुमार, डी0एस0ओ0, गाजियाबाद।	14. श्री अमित कुमार, डी0ए0ओ0, गाजियाबाद।
15. श्री रघुनन्दन सिंह यादव, डी0जी0एम0, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, गाजियाबाद।	16. श्री एन0के0 जैन, वरिष्ठ प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0ए0, गाजियाबाद।
17. श्री कुमार सौरभ, ई0ई0, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।	18. श्री अरूण प्रताप सिंह, ई0ई0, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
19. श्री बृहम्मानन्द, ई0ई0, गंगा जल परियोजना, गाजियाबाद।	20. श्री संजीव कुमार, चीफ सेनेट्री ऑफिसर, गाजियाबाद।
21. श्री ऑचल पाण्डेय, ई0ओ0 पतला, नगर पंचायत, गाजियाबाद।	22. श्री महेश प्रताप श्रीवास्तव, ई0ओ0 डासना, गाजियाबाद।
23. श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त उधोग एवं उधम प्रोत्साहन, गाजियाबाद।	24. श्री अरूण कुमार सिंह, एफ0एस0डी0ए0, गाजियाबाद।
25. श्री आदित्य कुमार, नगर निगम, गाजियाबाद।	26. श्री धन सिंह, डी0ए0ओ0, गाजियाबाद।
27. श्री राघवेन्द्र, एन0एच0ए0आई0, गाजियाबाद।	28. श्री अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित विभागों को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:-

- जनपद मे वायु प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत जैसे निर्माण कार्य, रोड डस्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट बर्निंग, कृषि अपशिष्ट बर्निंग, औधोगिक इकाईयों आदि के सम्बन्ध मे प्रभावी कार्यवाही करते हुए जुर्माना/अभियोजनात्मक कार्यवाही बन्दी आदि किये जाने के निर्देश दिये गये है। क्षेत्र मे पी0एम0-10 की मात्रा को नियंत्रित किये जाने वृहद स्तर पर सड़को आदि की सफाई किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

कार्यवाही अपेक्षित-सम्बन्धित विभाग।

- जनपद मे अत्यधिक वायु प्रदूषण के स्त्रोतों के हॉट-स्पॉट चिन्हित किये गये है, (ट्रेफिक सम्बन्धी हॉट-स्पॉट, रोड डस्ट सम्बन्धी हॉट स्पॉट, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट सम्बन्धी हॉट-स्पॉट, औधोगिक वायु प्रदूषण सम्बन्धी हॉट-स्पॉट सम्मिलित है) जिनके सम्बन्ध मे दोषी परियोजनाओं/इकाईयों के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है।

कार्यवाही अपेक्षित-सम्बन्धित विभाग।

- रोड डस्ट पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रात्रि के समय रोड स्वीपिंग एवं जल छिड़काव का कार्य प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाये तथा इस सम्बन्ध मे दैनिक रोस्टर तैयार कर नियमित

आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाये। जनपद मे ग्रेप–3 लागू होने के कारण MRSM, Water Sprinkling tank, Anti Smog Guns का 24 x7 प्रयोग मे लाये जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही अपेक्षित–नगर निगम/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

- जनपद मे हो रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्य (इमरजेन्सी सेवाओं के अतिरिक्त) को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जायें। जनपद मे गैस आधारित/आर0ई0सी0डी0 किट/डयूल किट पर परिवर्तित ही डी0जी0 सेट का संचालन किया जायेगा, अन्य सभी डी0जी0 सेटस को तत्काल रूप से बन्द कराया जायें।

कार्यवाही अपेक्षित–सम्बन्धित विभाग।

- जनपद मे मुख्यतः वृहद/मध्यम निर्माणाधीन परियोजनाओं मे एण्टी स्मॉग गन की उपलब्धता का प्रयोग सुनिश्चित किया जायें तथा उपलब्धता को जितना सम्भव हो, क्रया किया जायें।

कार्यवाही अपेक्षित–सम्बन्धित विभाग

- जनपद मे नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण/एकत्रण प्रभावी ढग से सुनिश्चित किया जाये, ताकि कूड़े मे आग लगने की घटनाओं पर रोक लग सके।

कार्यवाही अपेक्षित–जी0डी0ए0/नगर निगम/समस्त नगर पालिका परिषद/नगरपंचायत

- यू0पी0सी0डा0 के द्वारा विकसित औधोगिक क्षेत्रों मे सड़कों की खराब स्थिति व उससे उत्सर्जित हो रहे धूल–मिटटी आदि पर नियंत्रण हेतु यू0पी0सी0डा0 को सभी क्षेत्रों मे सड़क निर्माण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यवाही अपेक्षित–यू0पी0सी0डा0, गाजियाबाद

- जनपद गाजियाबाद के आवासीय क्षेत्रों स्थापित/संचालित उधोगों के विधुत विच्छेदन का सत्यापन एवं उक्त क्षेत्रों मे प्रदूषणकारी उधोगों को पूर्व मे दिये गये विधुत कनेक्शन को विच्छेदित किये जाने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 320/1994, बर्ल्ड सेवियर बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20–01–1997 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न करने वाली इकाइयों के विरूद्ध विधुत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित किया जाये।

कार्यवाही अपेक्षित– विधुत विभाग, गाजियाबाद।

- जनपद मे सभी संचालित ईट भटठें का संचालन बन्द कराया जाये तथा संचालित हॉट मिक्स प्लान्ट एवं आर0एम0सी0 प्लान्ट का संचालन बन्द कराया जाये।

कार्यवाही अपेक्षित– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/खनन विभाग

- जनपद मे संचालित सभी BS-IV वाहनों का बैन किया जाये तथा आम जन हेतु यातायात संचालन को सुगम बनाये जाने हेतु एडवाईजरी जारी की जाये।

कार्यवाही अपेक्षित– यातायात विभाग।

- जनपद मे आम जन–मानस के लिये एक एडबाईजारी जारी करते हुए अनुरोध किया जाये कि N-95 Mask का प्रयोग किया जाये, घरों मे Air Purifier का इस्तेमाल किया जाये एवं

प्रातःकालीन एवं सांय कालीन (Morning & Evening Walk) सैर को स्थगित किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि Urban Outreach Camp की स्थापना की जायें, अधिक से अधिक एम्बूलेन्स को तैयार किया जायें।

कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।

- जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद एवं समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी0बी0एस0ई0/ आई0सी0एस0ई0/संस्कृत शिक्षा परिषद/मदरसा बोर्ड व अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त तथा सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों (कक्षा नर्सरी से 05 तक) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं कोचिंग सेन्टरों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम आदेशों तक भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन स्थागित करते हुए विद्यालय/कोचिंग संस्थानों से हाईब्रिड मोड माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि जनपद मे सभी Asthmatic Students की कक्षाओं का संचालन स्थागित करते हुए विद्यालय/कोचिंग संस्थानों से हाईब्रिड मोड माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।

कार्यवाही अपेक्षित–बैसिक शिक्षा अधिकारी

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा समस्त विभागों को अनुपालन आख्या प्रतिदिन 05 बजे से पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को दैनिक आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। अन्त में धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(रविन्द्र कुमार मांदड़)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्याः 852 / ख0अनु–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 13 / 11 / 2025

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः– ग्रेप स्टेज– 3 लागू किये जाने के दृष्टिगत खनन संक्रियायें प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2025 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में GRAP स्टेज–3 लागू किया जा चुका है।

उक्त के सम्बंध में Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा GRAP स्टेज–3 लागू होने के सम्बंध में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में खनन तथा उससे सम्बंधित समस्त गतिविधियॉ प्रतिबन्धित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना से अवगत होते हुये अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन तथा उससे सम्बंधित समस्त गतिविधियॉ तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक बंद किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

13/11/25
अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

Annexure R-3

प्रेषक,

खान अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्र सं0:– 885 /ख0अनु0–गाजि0/2025–26 दिनांकः 26/11/ 2025

विषयः– बैठक दिनांक 12.11.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बालू खनन क्षेत्रों की जांच के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बंध में महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2025 को आहूत बैठक में प्राप्त निर्देशों के कम में तथा कार्यालय में प्राप्त भारतीय किसान युनियन (अनाज) के शिकायत पत्र सं0 2025/शिकायत/09 दिनांक 20.11.2025 के कम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद व खनन विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2025 को बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड– 2 एवं बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र ग्राम नौरसपुर का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि निरीक्षण के दौरान दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में GRAP स्टेज–3 लागू होने के कारण उक्त दोनों बालू खनन क्षेत्रों में खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। उक्त बालू खनन क्षेत्रों में कोई भी कार्यरत मशीन एवं बालू का परिवहन करता वाहन नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित बालू खनन पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2 व बालू खनन अनुज्ञा धारक ग्राम नौरसपुर के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने व हटाये जाने की अद्यतन स्थिति से स्वयं के स्तर से अवगत होते हुये खनन कार्य बंद किया जाना सुनिश्चित करें, यदि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने की स्थिति में खनन/परिवहन संकिया संचालित पायी जाती है तो उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। **मौके पर लिए गए जिओटैग्ड फोटोग्राफ संलग्न है।**

अतः स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 21.11.2025 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

जांच आख्या

Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2025 को आहूत बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में तथा कार्यालय में प्राप्त भारतीय किसान युनियन (अनाज) के शिकायत पत्र सं0 2025/शिकायत/09 दिनांक 20.11.2025 के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद व खनन विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2025 को बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड– 2 एवं बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र ग्राम नौरसपुर का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

निरीक्षण के दौरान दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में GRAP स्टेज–3 लागू होने के कारण उक्त दोनों बालू खनन क्षेत्रों में खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। उक्त बालू खनन क्षेत्रों में कोई भी कार्यरत मशीन एवं बालू का परिवहन करता वाहन नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित बालू खनन पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2 व बालू खनन अनुज्ञा धारक ग्राम नौरसपुर के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने व हटाये जाने की अद्यतन स्थिति से स्वयं के स्तर से अवगत होते हुये खनन कार्य बंद किया जाना सुनिश्चित करें, यदि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने की स्थिति में खनन/परिवहन संक्रिया संचालित पायी जाती है तो उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। **मौके पर लिए गए जिओटैग्ड फोटोग्राफ संलग्न है।**

अतः उपरोक्त जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

21/11/25
(विपुल कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

21/11/25
(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

GPS Map Camera
New Delhi, Delhi, India
Sanchar Vihar Apartments, Sec 4, Dwarka, New Delhi,
Delhi 201103, India
Lat 28.79648° Long 77.203184°
Friday, 21/11/2025 05:35 PM GMT +05:30
Google

Annexure R-4

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्याः 899 / ख0अनु–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 04/ 11 / 2025

कारण बताओ नोटिस

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः– ग्रेप स्टेज– 3 लागू होने के दौरान बालू खनन क्षेत्र में परिवहन कार्य किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 852 दिनांक 13.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas द्वारा जारी GRAP के निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2025 में दिये गये निर्देशानुसार दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में GRAP स्टेज–3 लागू किये जाने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक खनन सम्बंधित समस्त गतिविधियों को तत्काल बंद किये जाने के आदेश दिये गये थे।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in का परीक्षण किये जाने पर संज्ञान में आया है कि आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र में ग्रेप–3 लागू होने पर साधारण बालू का परिवहन कार्य किया गया है। आपका उक्त कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम– 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू0 50,000/– अर्थदण्ड क्यो न अधिरोपित किया जाये, के सम्बंध में अपना उत्तर/स्पष्टीकरण 03 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

04/12/25

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

Annexure R-5

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Uttar PradeshTreasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: **AKV250032037**	Challan Date:**11/12/2025**
Assessment Year:**2025-2026**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	**Bani Singh**
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	50000.00
	Totals of the above heads	--	50000.00

A SUM OF Rs. 50000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks->GRAP Penalty Pachayra Khand-02)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAFZULJA9, Scroll Date:-11/12/2025

Annexure R-6

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्याः 917/ख0अनु0–गाजि0/25–26 दिनांकः 14.12.2025

मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह
निवासी– सालासर काम्पलैक्स, 306,
शंकर विहार कालोनी, कुरैशी,
अलीगढ़।

विषयः– दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में ग्रेप स्टेज–3 व 4 लागू होने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas के पत्र सं0 120017/27/GRAP/2021/CAQM दिनांक 13.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में ग्रेप स्टेज–3 व 4 लागू किया गया है।

उपरोक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas के निर्देशानुसार ग्रेप स्टेज–3 व 4 लागू होने पर समस्त खनन संक्रियाओं को बाधित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas द्वारा दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में ग्रेप स्टेज–3 व 4 लागू किये जाने के कारण बालू खनन पट्टा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से समस्त खनन सम्बंधित संक्रियाये बंद किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तदायी होगें।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0)
गाजियाबाद।

Annexure R-7

जांच आख्या

मा0 न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.12.2025, जिसके द्वारा दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में ग्रेप स्टेज– 3 व 4 लागू होने की दशा में खनन संक्रियाओं की रोक का अनुपालन कराये जाने के आदेश दिये है, के क्रम में दिनांक 28.12.2025 को बालू खनन क्षेत्र ग्राम पचायरा (खण्ड–2) व नौरसपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में ग्रेप स्टेज–3 व 4 लागू होने के कारण बालू खनन क्षेत्र में खनन संक्रियायें पूर्णतः बंद पायी गयी तथा कोई मशीन अथवा बालू का परिवहन करता वाहन नहीं पाया गया।

आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

29/12/25

(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

बालू खनन पटटा
निर्मल सैंड
प्रा. लि.
05-03-2025 से
04-02-2026 तक
GPS Map Camera
Subhanpur, Uttar Pradesh, India
New Subhanpur Rd, Subhanpur, Uttar Pradesh
201102, India
Lat 28.822683° Long 77.223952°
Sunday, 28/12/2025 10:07:45 PM GMT +05:30
Google

सरकारी पट्टा
साधारण बालू
सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
खण्ड संख्या - 02
जनपद- गाजियाबाद
8.512 है.
12-11-2021 से 11-11-2026 तक
5 वर्ष हेतु
आज....
GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
Mohammadpur Rd, Tehari Dawlatpur, Delhi,
Delhi 110036, India
Lat 28.797577° Long 77.209074°
Sunday, 28/12/2025 10:27:16 PM GMT +05:30
Google

Annexure R-8

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्याः 979 / ख0अनु–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 02.01.2026

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः– ग्रेप स्टेज– 3 व 4 हटाये जाने के दृष्टिगत खनन संक्रियायें आरम्भ किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 917 दिनांक 14.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas के पत्र सं0 120017/27/GRAP/2021/CAQM दिनांक 13.12.2025 में दिये निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में GRAP स्टेज–3 व 4 लागू किये जाने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक खनन सम्बंधित समस्त गतिविधियों को तत्काल बंद किये जाने के आदेश दिये गये थे।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas के पत्र सं0 120017/27/GRAP/2021/CAQM/528DT दिनांक 02.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में GRAP स्टेज–3 व 4 हटा दिया गया है परन्तु GRAP स्टेज–3 पुनः लागू किये जाने पर खनन सम्बंधित समस्त गतिविधियों प्रतिबंधित की जायेंगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना से अवगत होते हुये अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन तथा उससे सम्बंधित समस्त गतिविधियॉ आरम्भ करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने व हटाये जाने की अद्यतन स्थिति से स्वयं के स्तर से अवगत होते हुये खनन कार्य बंद अथवा आरम्भ किया जायें, यदि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने की स्थिति में खनन/परिवहन संक्रिया संचालित पायी जाती है तो उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि GRAP स्टेज–3 व 4 लागू होने के सम्बंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

Annexure R-9

कार्यालय जिलाधिकारी गाज़ियाबाद

(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या: 1004/ख०लि०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक: 17.01.2026

न्यू पैंथर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड-2)
प्रो० श्री बनी सिंह निवासी- सालासर काम्प्लेक्स,
306, शंकर विहार कॉलोनी कुरैशी, अलीगढ।

विषय:- GRAP stage-3 लागू किये जाने के दृष्टिगत खनन संक्रियाये प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in NCR and and Adjoining Areas के पत्र सं० 120017/27/GRAP/2021/CAQM1542DT दिनांक16.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिल्ली एन०सी०आर० क्षेत्र में GRAP stage-3 लागू किया गया है|

उपरोक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas के निर्देशोनुसार GRAP stage-3 लागू होने पर समस्त खनन संक्रियाओ को प्रतिबंधित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि Commission for Air Quality Management in NCR and and Adjoining Areas द्वारा दिल्ली एन०सी०आर० क्षेत्र में GRAP stage-3 लागू किये जाने के कारण अपने खनन पट्टा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से समस्त खनन सम्बंधित संक्रियाये बंद किया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)
गाज़ियाबाद।

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1.जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को सदर सूचनार्थ प्रेषित।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)
गाज़ियाबाद।

Annexure R-10

1431

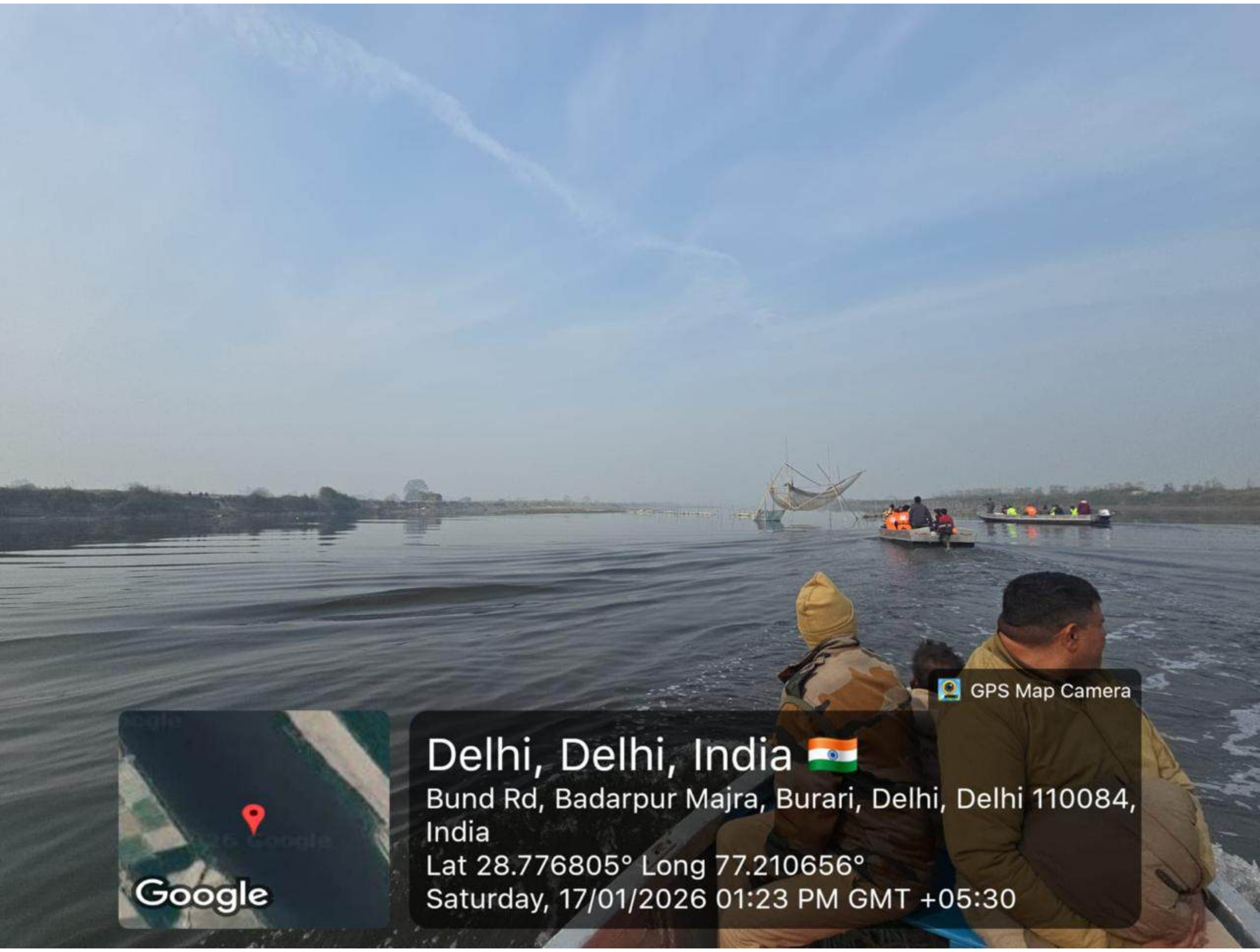
GPS Map Camera
Delhi, Delhi, India
Bund Rd, Badarpur Majra, Burari, Delhi, Delhi 110084, India
Lat 28.776805° Long 77.210656°
Saturday, 17/01/2026 01:23 PM GMT +05:30
Google

कार्यालय जिलाधिकारी गाज़ियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या: 1024/ख०लि०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक: 22.01.2026

न्यू पैंथर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड-2)
प्रो० श्री बनी सिंह निवासी- सालासर काम्प्लेक्स,
306, शंकर विहार कॉलोनी कुरैशी, अलीगढ |

विषय:- GRAP stage-3 हटाये जाने के दृष्टिगत खनन संक्रियाये आरम्भ किये जाने के सम्बंध में |

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 1004/ ख०लि०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक 17.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा Commission for Air Quality Management in NCR and and Adjoining Areas के पत्र सं० 120017/27/GRAP/2021/CAQM1542DT दिनांक 16.01.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली एन०सी०आर० क्षेत्र में GRAP stage-3 लागू किये जाने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशो तक समस्त खनन संक्रियाओ को प्रतिबंधित किया गया था |

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि Commission for Air Quality Management in NCR and and Adjoining Areas के पत्र सं० 120017/27/GRAP/2021/CAQM1545DT दिनांक 22.01.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में एन०सी०आर० क्षेत्र में GRAP स्टेज-3 हटा दिया गया है परन्तु GRAP स्टेज-3 पुनः लागू किये जाने पर खनन सम्बंधित समस्त गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जायेगी |

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना से अवगत होते हुये अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन तथा उससे सम्बंधित समस्त गतिविधियाँ आरम्भ करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि GRAP स्टेज-3 व 4 लागू होने व हटाये जाने की स्थिति से स्वयं के स्तर से अवगत होते हुये खनन कार्य बंद अथवा आरम्भ किया जाये, यदि GRAP स्टेज 3 व 4 लागू होने की स्थिति में खनन/परिवहन संक्रिया संचालित पायी जाती है तो उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद द्वारा सुसंगत नियमो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी |

22/01/26

खान अधिकारी
गाज़ियाबाद |

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार |
प्रतिलिपि:-

1.जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित |

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

खान अधिकारी
गाज़ियाबाद |

Annexure R-12

कार्यालय जिलाधिकारी गाज़ियाबाद

(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या: 1060 /ख०अनु०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक:09 .02.2026

आदेश

न्यू पैंथर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड-2)
प्रो० श्री बनी सिंह निवासी- सालासर काम्प्लेक्स,
306, शंकर विहार कॉलोनी कुरैशी, अलीगढ।

विषय:- मा० न्यायालय एन०जी०टी० में योजित O.A No. 724/2023 Bittu Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद गाज़ियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड-2 गाटा सं० 290मि०, 297मि०, 298मि०, 301मि०, 302मि०, 303मि०, 304मि०, 303, 311मि०, 312 मि०, 313मि०, 314मि०, रकबा 8.512 हे० में दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया था।

आपके पक्ष में स्वीकृत उक्त खनन पट्टे के सम्बंध में मा० न्यायालय एन०जी०टी० में योजित O.A No. 724/2023 Bittu Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 (छायाप्रति संलग्न), जो की दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त हुआ है, के बिंदु सं० 39 में निम्नवत आदेश पारित किया गया है :

"39. In view of the facts and circumstances of the case and 'Precautionary' Principle embodied in Section 20 of National Green Tribunal Act, 2010, respondent no. 8 is restrained from carrying out any further mining in the mining lease site till further orders to the contrary by this Tribunal and the Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh, the District Mining Officer, Ghaziabad, the District Magistrate, Ghaziabad and the Commissioner of Police, Ghaziabad are directed to ensure that no mining take place in the mining lease site and surrounding areas in Ghaziabad ."

उपरोक्तानुसार मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2026 द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत एवं निष्पादित बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड-2, तहसील लोनी में बालू खनन कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अतः मा० न्यायालय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज साधारण बालू के खनन पट्टा क्षेत्र तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड-2 गाटा सं० 290मि०, 297मि०, 298मि०, 301मि०, 302मि०, 303मि०, 304मि०, 303, 311मि०, 312 मि०, 313मि०, 314मि०, रकबा 8.512 हे० में खनन कार्य को अग्रिम आदेशो तक के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य न किया जाये | यदि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी खनन संक्रिया होती पायी जाती है तो उसे मा० न्यायालय के आदेशो की अवमानना मानते हुये आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे |

संलग्नक: यथोक |

अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)
गाज़ियाबाद |

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार |

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ |
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ |
3. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद |
4. पुलिस आयुक्त, गाज़ियाबाद |
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ |
6. रजिस्ट्रार, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली |
7. पुलिस उप-आयुक्त (ग्रामीण), गाज़ियाबाद |
8. उपजिलाधिकारी, लोनी |
9. सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी |
10. खान अधिकारी, गाज़ियाबाद |
11. थानाध्यक्ष, लोनी/ट्रोनिका सिटी |

9/2/26

अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)
गाज़ियाबाद |

Annexure R-13

885/57 MO

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जनपद– गाजियाबाद

विषय– फर्जी कागजात के आधार पर खनन माफिया द्वारा खनन करने के सम्बन्ध में शिकायत पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी प्रार्थीगण गांव–जगतपुर, थाना–बुराड़ी दिल्ली के निवासी हैं। अवगत कराना है कुछ लोग गांव जगतपुर दिल्ली में अवैध खनन कर रहे हैं और जानकारी लेने पर अनुमति से खनन कराने की बात करते हैं। फर्जी खनन कराने वालों का नाम इस प्रकार है:–

1. सिद्धार्थ कसाना पुत्र श्री सुरेन्द्र कसाना, प्रो0 मै0 कसाना फार्म हाउस, प्लाट नं0–4, पीपल ड्राईव, छतरपुर दिल्ली मो0नं0–9871821105
2. राजीव पुत्र ब्रहम सिंह निवासी–गांव– जगतपुर, दिल्ली मो0नं0– 9871162253
3. बिजेन्द्र शर्मा पुत्र नामालूम निवासी–दिल्ली
4. फरजाना व अन्य चार पांच लेडिज

ये लोग खनन माफिया हैं। फर्जी लाईसेंस के आधार पर लगातार बड़ी–बड़ी पोकलैन्ड मशीनों खनन कर रहे हैं और सरकारी सम्पत्ति व किसानों की निजी भूमि को तहस नहस कर दिया है। इन्हे रोका जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर विपक्षीगणों सिद्धार्थ कसाना पुत्र श्री सुरेन्द्र कसाना, प्रो0 मै0 कसाना फार्म हाउस, प्लाट नं0–4, पीपल ड्राईव, छतरपुर दिल्ली मो0नं0–9871821105 व राजीव पुत्र ब्रहम सिंह निवासी–गांव– जगतपुर, दिल्ली मो0नं0–9871162253 व बिजेन्द्र शर्मा पुत्र नामालूम व फरजाना व अन्य चार पांच लेडिज सभी निवासीगण–दिल्ली के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें और प्रार्थीगणो की सम्पत्ति की रक्षा की जाये।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थीगण भूप सिंह 9599184411

समस्त ग्रामवासी

गांव–जगतपुर, थाना–बुराड़ी दिल्ली

रामबीर

सतपाल

महासिंह

जयप्रकाश

Jangvir

Kuldeep

नवीन कुमार

महाराज सिंह

MOB-8533926400,
7534803701

PAN-AVAPS8376G
GST-09AVAPS8376G3ZZ

NEW PANTHER SECURITY GUARD SERVICES

Regd Off. Flat no 306, Salasar Complex, Shanker Vihar Colony, Quarsi, Aligarh 202001

Sl. No.:

Date: 08-01-2026

सेवा में,

श्रीमान खनन अधिकारी महोदय

जनपद– गाजियाबाद

विषय– प्रार्थी के नाम से फर्जीवाड़ा कर खनन कार्य करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी/कम्पनी New Panther Security Guard Services स्थित–ग्राम पचायरा, थाना–ट्रोनिका सिटी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के नाम से पांच वर्ष का खनन कार्य हेतु अनुमति प्राप्त है। जिसके तहत प्रार्थी कम्पनी कार्य करती है। अवगत कराना है कि प्रार्थी/कम्पनी के नाम से सिद्धार्थ कसाना पुत्र श्री सुरेन्द्र कसाना, प्रो0 मै0 कसाना फार्म हाउस, प्लाट नं0–4, पीपल ड्राईव, छतरपुर दिल्ली मो0नं0–9871821105 व राजीव पुत्र ब्रहम सिंह निवासी–गांव– जगतपुर, दिल्ली मो0नं0– 9871162253 व बिजेन्द्र शर्मा पुत्र नामालूम निवासी–दिल्ली व अन्य गैंग बनाकर प्रार्थी के नाम से जारी लाईसेंस नम्बर के आधार पर फर्जी खनन परमीशन बनाकर बड़ी–बड़ी पोकलैन्ड मशीनों से अवैध खनन कर रहे है और प्रार्थी को ब्लैकमेल करते हैं। प्रार्थी को उक्त लोगों से जानमाल का खतरा है। अतः विपक्षीगणों उपरोक्त के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर विपक्षीगणों सिद्धार्थ कसाना पुत्र श्री सुरेन्द्र कसाना, प्रो0 मै0 कसाना फार्म हाउस, प्लाट नं0–4, पीपल ड्राईव, छतरपुर दिल्ली मो0नं0–9871821105 व राजीव पुत्र ब्रहम सिंह निवासी–गांव– जगतपुर, दिल्ली मो0नं0– 9871162253 व बिजेन्द्र शर्मा पुत्र नामालूम निवासी–दिल्ली के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें और प्रार्थी की जानमाल की रक्षा की जाये।

आपकी अति कृपा होगी।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE

प्रार्थी

बनी सिंह

बनी सिंह

प्रो0–New Panther Security Guard Services

पता–ग्राम पचायरा, थाना–ट्रोनिका सिटी

तहसील लोनी जिला गाजियाबाद

Dated: 09.01.2025

884/S
MO

To

1. Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Office at Lal Bahadur Shastri Bhawan, UP
Secretariat, Lucknow-226001
Uttar Pradesh

2. District Magistrate
District Ghaziabad,
Office at Collectorate Ghaziabad,
Uttar Pradesh.

3. Mining Officer
Office at Collectorate
District Ghaziabad
Uttar Pradesh

4. Chief Secretary
Government of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, I.P. Estate
New Delhi-110002.

5. Sub Divisional Magistrate
Office at Burari,
Delhi.

6. Deputy Commissioner of Police (North)
1, Kripa Narain Marg, Sham Nath Marg
Delhi-110054.

Sub: **COMPLAINT/REPRESENTATION ON BEHALF OF BANI SINGH, S/O SHRI RAGHUNATH SINGH, PROPRIETOR OF M/S NEW PANTHER SECURITY GUARD SERVICES, AT SALASAR COMPLEX, 306, SHANKAR VIHAR, COLONY, KURAISHI, ALIGARH-202001 AGAINST SIDHARTH KASANA SON OF SURENDER SINGH KASANA R/O FARM HOUSE NO.4, PIPAL DRIVE, CHHATARPUR FARM, NEW DELHI FOR ILLEGAL MINING BY MISUSING THE NAME OF PROPRIETORSHIP OF THE COMPLAINANT AT VILLAGE**

JAGATPUR, ON THE BANK OF YAMUNA RIVER WITH THEIR ASSOCIATES AND ANTISOCIAL ELEMENTS WITHOUT OBTAINING ANY PERMISSION IN THIS REGARD BY THE COMPETENT AUTHORITY.

Respected Sir,

I, Bani Singh, S/o Shri Raghunath Singh, Proprietor of M/s New Panther Security Guard Services, at Salasar Complex, 306, Shankar Vihar, Colony, Kuraishi, Aligarh-202001 wants to inform the following facts for your kind indulgence and appropriate action against the aforesaid Sidharth Kasana and his associates.

1. It is matter of fact that the complainant is proprietor of **M/s New Panther Security Guard Services** and have been granted a lease for mining of sand in the Yamuna River and the complainant is doing process of mining by adopting and complying all the rules and regulation made in this regard by the authorities.

2. That the complainant has come to know that the aforesaid Sidharth Kasana is doing illegal mining work in Jagatpur/Burari village and doing transportation towards Delhi side only on **02.01.2026** when news circulated through media in the local area as the local residents of area protested about the illegal mining by using the name of proprietorship firm of the complainant and the associates of Sidharth Kasana has also written a letter dated 20.12.2025 to SDM, Karawal Nagar seeking to provide him passage for entering into Yamuna River.

3. That the complainant immediately came to know that the local residents/farmers have made a representation dated 06.01.2026 to SDM, Office Burari, Delhi copy whereof also sent to Chairman, NGT, SDM, Karawal Nagar, D.M. North District, Hon'ble Lt. Governor, NCT of Delhi, Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, SHO, P.S. Burari, Delhi as well as

SHO, P.S. Sonia Vihar, District North, Delhi and also to the higher police officials of Delhi regarding illegal mining work doing by said Sidharth Kasana and his associates in the connivance with the local police and local bodies, and due to said illegal manning, the crops of the farmers are being badly damages but unfortunately no action has been taken either by police officials or by any local bodies.

4. It is a matter of fact that the complainant has no involvement with the illegal mining being carried out by the said **Sidharth Kasana** or his associates and have never given any permission or authority to use the name of firm of the complainant and further to write any letter on behalf of the firm of the complainant for obtaining any permission as it has tried to approach SDM, Karawal Nagar, Delhi, it is clear cut case of complainant that the above said Sidharth Kasana and his associates are misusing the firm of the complainant and doing illegal mining at **Yamuna River, Village Jagatpur, Burari,** New Delhi.

5. That the aforesaid Sidharth Kasana and his associates hatched a criminal conspiracy with each other and tried to mislead and misguide the Government authorities to obtain the permission for doing the illegal mining work at the aforesaid address which is never permitted or allowed by the complainant to use the name of his firm for doing such work.

6. It may be noted that in this regard a writ petition bearing W.P.(C) No. 2612/2024 titled as Jagatpur Vikas Samiti Vs. Municipal Corporation of Delhi and others is pending before the Hon'ble High Court of Delhi and the Hon'ble High Court was pleased to direct the respondents to file status report.

I, hereby humbly request to your good honor to investigate the matter and take appropriate action against Sidharth Kasana Son of Surender Singh Kasana R/o Farm

House No.4, Pipal Drive, Chhatarpur Farm, New Delhi for illegal mining by misusing the name of proprietorship of the complainant at village Jagatpur, on the bank of Yamuna river with their associates and antisocial elements without obtaining any permission in this regard by the competent authority.

Yours Faithfully

बानी सिंह

(Bani Singh),
S/o Shri Raghunath Singh,
Proprietor
M/s New Panther Security Guard Services,
At Salasar Complex, 306, Shankar Vihar, Colony,
Kuraishi, Aligarh-202001
Mob# 8533926400

Annexure R-14

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, नोर्थ ईस्ट दिल्ली।
2. जिलाधिकारी, नोर्थ दिल्ली।

पत्र सं0 :- 998 /ख0अनु0-गाजि0/2025-26 दिनांकः 14/01/ 2026

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में गठित Joint Inter State Task Force के माध्यम से दिल्ली-उ0प्र0 राज्य सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन/परिवहन पर अंकुश लगाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में गठित Joint Inter State Task Force के माध्यम से दिल्ली-उ0प्र0 राज्य सीमा क्षेत्र अवैध बालू खनन/परिवहन की रोकथाम के लिये कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में जनपद गाजियाबाद स्तर पर अवैध बालू खनन/परिवहन के सम्बंध में निम्नवत् कार्यवाही की गयी है :-

तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत यमुना नदी के तट पर अवैध बालू खनन के सम्बंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के क्रम में खान अधिकारी गाजियाबाद द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ **दिनांक 11.10.2025** को ग्राम नौरसपुर में निरिक्षण के दौरान अवैध बालू खनन किया जाना पाया गया। उक्त अवैध खनन के पुष्टि के उपरान्त सम्बंधित क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी में **एफ0आई0आर0 सं0 0488** दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र का **दिनांक 01.11.2025** पुनः औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम नौरसपुर में 02 ट्रैक्टर मय ट्रॉली को अवैध बालू परिवहन में संलिप्त होने के कारण सम्बंधित थाने की अभिरक्षा में दिया गया। उक्त के अतिरिक्त खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पुनः **दिनांक 01.12.2025** को क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम पचायरा में अवैध खनन में संलिप्त 01 जे0सी0बी0 को पकड़कर थाना ट्रोनिका सिटी की अभिरक्षा में दिया गया है। इस सम्बंध में थाना ट्रोनिका सिटी में **एफ0आई0आर0 सं0 0540** दर्ज कराई गयी है।

जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्तानुसार की जा रही निरन्तर कार्यवाही के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2025 के माध्यम से पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को बालू खनन क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखते हुये अवैध बालू खनन/परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किये जाने के लिये अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि भूप सिंह, रामबीर आदि ग्रामवासी जो की ग्राम जगतपुर, थाना बुराड़ी के निवासी हैं द्वारा अवगत कराया गया कि *दिल्ली- उत्तर प्रदेश सीमा मे यमुना नदी के तट पर ग्राम जगतपुर क्षेत्रान्तर्गत सिद्धार्थ कसाना, राजीव, बिजेंद्र आदि द्वारा मशीनों से खनन एवं परिवहन किया जा रहा है जिससे किसानों की भूमि क्षतिग्रस्त हो रही है एवं पूछे जाने पर अनुमति से खनन किया जाना बताया गया है* इसके अतिरिक्त बनी सिंह प्रोप0 New Panther Security Guard Services जोकि

ग्राम पचयेरा, तहसील लोनी में खनन पट्टाधारक है, द्वारा अवगत कराया गया कि *उक्त फ़र्म के नाम से सिद्धार्थ कसाना, राजीव, बिजेंद्र आदि के द्वारा फर्जी खनन अनुमति बनाकर अवैध खनन किया जा रहा है एवं पट्टाधारक को ब्लैकमेल किया जा रहा है*| उक्त प्राप्त शिकायतों के क्रम में दिनांक 10.01.2026 को Joint Inter State-Task Task force के सदस्यों यथा खान अधिकारी, गाजियाबाद व अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद द्वारा पुलिस की सहायता से उक्त क्षेत्र का औचक निरीक्षण लगभग रात्रि 10 बजे किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नदी के तट पर दिल्ली की ओर बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा बालू खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। **स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खनन ग्राम पचायरा, गाजियाबाद में दी गयी खनन अनुमति की आड़ में दिल्ली की तरफ किया जा रहा है एवं परिवहन हेतु बुराड़ी थाना क्षेत्र से एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। मौके पर पाया गया खनन ग्राम पचायरा से लगभग 7 किमी की दूरी पर है, अतः प्रथम दृष्टया सम्पूर्ण प्रकिया अवैध प्रतीत हुई**। मौके पर हो रहे अवैध खनन को तत्काल रोकने हेतु दिल्ली के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया एवं खनन कर रही 03 जे0सी0बी0 मशीनों को चौकी इंचार्ज बुराड़ी की अभिरक्षा में दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि दिल्ली प्रदेश की सीमा में हो रहे खनन एवं परिवहन के लिए क्या कोई सक्षम स्तर से अनुमति दी गई है, के सम्बन्ध में स्थित स्पष्ट करते हुए यदि बिना अनुमति खनन किया जा रहा है तो उसे तत्काल रुकवाने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें ।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय

14/1/26

(रविन्द्र कुमार मांदड़)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या I/1028836/2025 दिनांक 17.07.2025 के क्रम इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से दिल्ली प्रदेश के समकक्ष अधिकारी को अवगत कराने की कृपा करें।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त अन्तर्राज्यीय कार्यबल के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Annexure R-15

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 08.02.2026 को 05 वर्षीय बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 गाटा सं0 303मि0, 313मि0, 290मि0, 301मि0, 303, 304मि0, 314मि0, 297मि0, 298मि0, 302मि0, 311मि0, 312मि0, 313मि0, 314मि0 रकबा 8.512 है0 का निरीक्षण किया गया। खान अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 09.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि –

"निरीक्षण के दौरान खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। मौके पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 01 पिट देखा गया, जिसमें पानी था। देखे गये पिट तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त योजित ओ0ए0 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दिनांक 02. 01.2026 की विडियो में रात्रि 10.09 बजे पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन होना दिखाया गया है, में समानता प्रतीत होती है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा पानी आ जाने के उपरान्त भी पिट से खनन कार्य किया जाना परिलक्षित होता है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) का उल्लंघन है।

अतः बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी के खनन पट्टाधारक मै0 न्य पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।"

उपरोक्त कृत्य के सम्बंध में इस कार्यालय के पत्र सं0 1127/ख0अनु–गाजि0 /2025–26 दिनांक 06.03.2026 द्वारा बालू खनन पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2 मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स, 306, शंकर विहार कालोनी, कुरैशी, अलीगढ़ को उक्त अवैध खनन के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके कम में पट्टाधारक द्वारा कोई प्रतिउत्तरं कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, तत्क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0 1143/ख0अनु0–गाजि0/2025–26 दिनांक 16.03.2026 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु पट्टाधारक द्वारा तद्दिनांक तक भी अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पट्टाधारक को युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा कोई प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण न दिया जाना उनके द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य को स्वीकार किया जाना प्रदर्शित करता है।

अतः बालू खनन पट्टाधारक मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स, 306, शंकर विहार कालोनी, कुरैशी, अलीगढ़ द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(4) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टाधारक पर रू0 5,00,000/– अधिरोपित किया जाता है तथा पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित धनराशि को 03 कार्य दिवस के अन्दर जमा कराना

सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में अधिरोपित धनराशि की वसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 1280 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 20/04/ 2026
प्रतिलिपिः–

1. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. बालू खनन पट्टाधारक मै0 न्यू पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स, 306, शंकर विहार कालोनी, कुरैशी, अलीगढ़ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

20/4/26
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.up.gov.in, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 179 / NGT 201 /2026 दिनांक 28/04/2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर)/
नोडल एन0जी0टी0,
गाजियाबाद।

विषयः– मैसर्स New Panther Security Guard Services द्वारा आई0ए0 संख्या 173/2026 के मा0 एन0जी0टी0 के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में इकाई मैसर्स New Panther Security Guard Services द्वारा आई0ए0 संख्या 173/2026 के मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल की गई है। मैसर्स New Panther Security Guard Services द्वारा आई0ए0 संख्या 173/2026 में उल्लिखित बिंदुओं पर प्रस्तरवार रिप्लाई तैयार कर आपके समक्ष अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Reply on behalf of UPPCB to the I.A. No. 173/2026 (O.A. No. 724/2023) filed by M/s New Panther Security Guard Services (Respondent No. 8) in compliance of order dated 09.04.2026 passed by Hon'ble National Green Tribunal.

Para wise instructions are given below:-

1. That the content of para (1) of I.A., describes the order of Hon'ble NGT dated 29.01.2026 wherein Respondent No.8 is restrained from carrying out any further mining in the mining lease site till further orders and being matter of record needs no reply.
2. That in reply to content of para (2), it is submitted that on 14.02.2026 Respondent No.8 had filed Diary No.9720/2026 in the Hon:ble Supreme Court titled M/s New Panther Security Guard Services V/s State of Uttar Pradesh & Ors. That the matter was heard before Hon'ble Supreme Court on 26.02.2026 wherein the Appeal is dismissed.
3. Needs no reply.
4. (a) That State level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Uttar Pradesh had issued Environmental clearance (EC) on 27.05.2021 to M/s New Panther Security Guard Services (leased area 12.512ha).

   (b) Needs no reply.

   (c) That UPPCB had issued Consolidated Consent to Operate and Authorization (CCA) under section 25 of the Water (Prevention and Control

of Pollution) Act, 1974, section 21 of the air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, on 07.01.2023 which is valid up to 31.12.2026.

(d) Needs no reply.

(e) That it is submitted that in compliance of the order dated 22.04.2025 passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 1003/2024 in the matter of Mr. Ashok Kumar and ANR Vs State of U.P., a report had been filed by District Magistrate Ghaziabad before Hon'ble Tribunal and being matter of record needs no reply.

(f) Needs no reply.

(g) Needs no reply.

(h) That the applicant Shri Bittu had filed I.A. No. 744/2025 for issuance of directions for immediate closure of mining activities being carried out by Respondent No.8 in view of mandate under GRAP stage III issued by Commission For Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM).

- That in view of the Air Quality Index (AQI) exceeding 300 in Delhi and other NCR areas, the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas GRAP-III was imposed by CAQM vide letter dated 11.11.2025 under which mining and associated activities

remain prohibited in the Delhi-NCR area. Copy of letter dated 11.11.2025 is annexed as **Annexure-II**

- That a joint site inspection was carried out on 21.11.2025 by the UPPCB Ghaziabad and Mining Department at the sand mining lease area of Village Pachayera, Block-2 and the sand mining permit area of Village Nauraspur.
- Due to implementation of GRAP Stage III in the Delhi-NCR region, mining operations were found to be completely closed at both the aforesaid sand mining areas.

(i) That contents of para is not consent to UPPCB, hence needs no reply.

(j) That contents of para is not consent to UPPCB, hence needs no reply.

(k) Needs no reply.

(l) Needs no reply.

(m) Needs no reply.

(n) Needs no reply.

(o) Needs no reply.

28.04.2026

Reply on behalf of UPPCB to the I.A. No. 744/2025 (O.A. No. 724/2023) filed by M/s New Panther Security Guard Services (Respondent No. 8) in compliance of order dated 09.04.2026 passed by Hon'ble National Green Tribunal.

1. That it is relevant to submit here that the Hon'ble Tribunal vide order dt. 29.10.2025 directed as under:

   "3.List on 27.03.2026 for final hearing.

   4.Pleadings may be completed before that date and if any response /additional response is to be filed by any of the other respondents, then the same may be filed within two months and in case any rejoinder to the same is to be filed by the applicant, then the same be filed within next one month and no further adjournment will be granted for this purpose."

2. That the present matter was last listed for hearing on 28.11.2025, wherein the applicant had filed I.A. No.744/2025 for issuance of directions inter-alia for immediate closure of mining activities being carried on by Respondent no. 8 in view of mandate under GRAP Stage III issued by Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM). That the applicant had also filed I.A. No. 745/2025 for urgent listing. That the Hon'ble Tribunal vide the said order dt. 28.11.2025 directed as under:

"3. Even though the applicant has enclosed proof of sending of copies of both the I.As. to learned Counsels for opposite parties by e-mail but copies were not sent to Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon and Ms. Anjali Sharma, learned Counsels who represented respondents no. 1 to 7 and Mr. Saurabh Rajpal and Mr. Vinay Kumar Singh, learned Counsels who represented respondent no. 8 on the last date of hearing. Notice of both the I.As. be issued to learned Counsels for respondents no. 1 to 7 and learned Counsels for respondent no. 8 accordingly.

4. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon and Ms. Anjali Sharma have appeared and accepted notice on behalf of respondents no. 1 to 7 and Mr. Saurabh Rajpal, learned Counsel has appeared and accepted notice on behalf of respondent no. 8.

5. We have heard learned counsels for the parties with respect to I.A. No. 745/2025 for urgent listing/early hearing.

6. In view of the facts and circumstances of the case and reasons mentioned, I.A. No. 745/2025 for urgent listing/early hearing is allowed and O.A. No. 724/2023 is preponed to 16.12.2025.

7. Reply to I.A. No. 744/2025 may be filed by respondents no. 1 to 7 and respondent no. 8 respectively.

8. List on 16.12.2025 for hearing on I.A. No. 744/2025."

I. <u>IMPLEMENTATION OF GRAP STAGE–III AND COMPLIANCE MEASURES</u>

3. That in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government, vide Notification No. 118(A) dated 12.01.2017, has notified the **Graded Response Action Plan (GRAP)** for mitigation of air pollution at various levels. For effective implementation of GRAP and for controlling other contributing factors of air pollution, concerned departments have been directed to identify sources such as dust, soil, traffic, industrial units, agricultural and other waste, and other pollution-generating sources in the region, and to prepare an action plan and take necessary action accordingly. That in view of the **Air Quality Index (AQI) exceeding 300** in Delhi and other NCR areas, the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas, GRAP-3 was imposed by CAQM vide letter dated 11.11.2025, under which mining and associated activities remain prohibited in the Delhi-NCR area, under which mining and associated activities remain prohibited in the Delhi-NCR area. Pursuant to the said order, a meeting was convened by the Regional Officer, UPPCB, with all the concerned authorities under the Chairmanship of the District Magistrate, Ghaziabad on 12.11.2025.

II. <u>JOINT INSPECTION BY UPPCB AND MINING DEPARTMENT</u>

4. That a **joint site inspection** was carried out on 21.11.2025 by the U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad and the Mining Department at the **sand mining lease area of Village Pachayera, Block–2** and the **sand mining permit area of Village Nauraspur**.

5. That the findings of the said inspection:
    - Due to the implementation of **GRAP Stage–III in the Delhi–NCR region**, mining operations were found to be **completely closed** at both the aforesaid sand mining areas.
    - No operational machinery or vehicles transporting sand were found at the sites.
    - The representatives of the sand mining leaseholder of Village Pachayera, Block–2 and the sand mining permit holder of Village Nauraspur, who were present at the site, were directed to keep themselves updated at their own level regarding the prevailing status of implementation and withdrawal of **GRAP Stage–III and Stage–IV** and to ensure complete stoppage of mining activities accordingly.

- It was further informed that if mining or transportation activities are found to be operational during the implementation of GRAP Stage–III or Stage–IV, action shall be taken by the **U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad** under the relevant rules.

  Photos of the said inspection are attached with the inspection report.

6. That further it is submitted that in compliance with the order dated 04.08.2025 passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 757–760/2013 (*Delhi Pollution Control Committee vs. Lodhi Property Company Limited*), further action by the UPPCB for imposition of environmental compensation against the guilty industries/institutions, etc., will be possible only after the Union of India frames the requisite rules and regulations.

28.04.2026